

कंडम भरी बसों में जोखिम भरा सफर, आरटीओ बेपरवाह हथिनी अनारकली ने दो बच्चों को दिया जन्म

फिटनेस के नाम पर होती है सिर्फ खानापूर्ति

नवभारत न्यूज
पन्ना 22 नवंबर। पन्ना जिले मे परिवहन विभाग की लचर व्यवस्था एवं निहित स्वार्थ के चलते जिले मे यात्रियों की जान सुरक्षित नहीं है। कंडम एवं

अनफिट बसों मे यात्री यात्रा करने को मजबूर हैं। कागजों मे वे भले ही वे बसें फिट हो लेकिन वास्तव मे वे जर्जर अवस्था मे हैं। यही हाल पिकअप एवं चार पहिया वाहनों का है जो लगभग

बसें दे रही हादसे को दावत

बस रोकने के लिए ब्रेक की जगह पहिए के नीचे पत्थर का सहारा दिया गया था। दरवाजे रस्सी, सुतली और कपड़ों से बंधे हुए थे। फटी व टूटी सीटें, कई जगह बोरी और रस्सियों से बांधकर उपयोग, फर्स्ट एंड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र नवरद रहे। बाहरी दांचा तक जंग खाया, टूटा और क्षतिग्रस्त मिला। कई बसों में पैसेंजर से अधिक मालवाहक सामान अनाज खाद के कंठे, लोहे की छड़ें, टायर, पाइप और बक्से तक भरे मिले। छतों पर इस तरह का भारी माल हादसों की आशंका और बढ़ा देता है।

25 से 30 साल पुरानी हैं। जो सड़क पर फर्माटें मार रही हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं परिवहन विभाग अपनी काली कमाई के चक्कर मे मूक दर्शक बना हुआ है। सड़क हादसों पर रोक और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दावों के बीच पन्ना में जर्जर और कंडम बसें आज भी खुलेआम दौड़ रही हैं। बसों में फिटनेस और सुरक्षा इंतजाम की अनदेखी की जा रही है। परिवहन, यातायात विभाग केवल दस्तावेजी जांच और चालानी कार्रवाई तक सीमित हैं। नतीजा, हर सफर मानो खतरे से भरा दांव साबित हो रहा है। गत दिवस पड़ताल में बस स्टैंड पर

खड़ी अधिकांश यात्री बसों की हालत भयावह मिली। कई बसें इतनी जर्जर थी कि उन्हें देखकर

भी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है।

यात्री बोले-किराया मनमर्जी से, सुविधा शून्य

यात्री विनोद कुमार ने बताया, जर्जर स्थिति के बावजूद यात्रियों से किराया मनमाने तरीके से वसूला जा रहा है। बदले में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। न उचित सीट, न सुरक्षा, न साफ- सफाई। यात्री सुनील पाटक बोले, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की जांच सिर्फ कागजी औपचारिकताओं तक सीमित है। जांच में केवल परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाता है। कमियां मिलने पर वालान काट दिया जाता है और बस फिर से सड़कों पर दौड़ने लगती है। बसों की हालत सुधारने के लिए किसी भी विभाग ने प्रयास नहीं किए। इससे बसों में सफर करना खतरे का सफर बनता जा रहा है। लोग सफर के दौरान सुरक्षा को लेकर आशंकित रहते हैं।



नवभारत न्यूज
पन्ना 22 नवंबर। दिनांक 21 नवंबर को परिक्षेत्र हिनौता अन्नगंत मादा हथिनी अनारकली उम्र 57 वर्ष के द्वारा 02 मादा स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया गया।

पहला मादा बच्चा स्थान खैरईया में 02:20 पी.एम. पर एवं दूसरा मादा बच्चा स्थान हिनौता हाथी कैम्प 05:50 पी.एम. पर हुआ। माँ एवं दोनों बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण वन्यप्राणी स्वास्थ्य अधिकारी, प.टा.रि. के द्वारा किया गया, माँ एवं दोनों बच्चे पूर्णतः

स्वस्थ है। वर्तमान में पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना के पास कुल 21 हाथी हो गये हैं। जिनमें से 05 नर एवं 16 मादा वयस्क, अर्द्ध वयस्क एवं बच्चे सम्मिलित है। 02 बच्चे आने पर पन्ना टाईगर रिजर्व परिवार में खुशी की लहर है।

सिविल सर्जन ने जिला चिकित्सालय में महिला नसबंदी सुविधाओं के संबंध में दी जानकारी

नवभारत न्यूज
पन्ना 22 नवंबर। चिकित्सालय पन्ना में महिला नसबंदी सुविधाओं के संबंध में जानकारी सिविल सर्जन ने बताया कि नसबंदी के लिए आने वाली महिलाओं को जिला चिकित्सालय के पीपीओटी वार्ड में भर्ती किया जाता है। वार्ड भरने की स्थिति में पृथक से कक्ष क्रमांक 19 वार्ड को संधारित किया गया है, जिसमें पलंग, बिस्तर, चादर व कंबल दिया जा रहा है। इसके बावजूद अधिक हितग्राही होने की स्थिति में शासन के नियमानुसार गद्दा, साफ चादर एवं कंबल पर्याप्त रूप से उपलब्ध

कराए जाते हैं। ऑपरेशन के उपरांत वार्ड से डिस्चार्ज होने पर हितग्राहियों को नियमानुसार अस्पताल से बाहर आने तक के लिए स्ट्रेचर व व्हीलचेयर भी निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। वार्ड में पर्याप्त वार्ड बर्खास्त की उपलब्धता सुनिश्चित कर मरीजों को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। चलने फिरने में सक्षम मरीज पैदल चलकर भी वाहन तक जा सकते हैं। प्रायः मरीज के परिजन भी सहारा देकर वाहन तक ले जाते हैं। सिविल सर्जन डॉ. गुप्ता ने अवगत कराया कि नसबंदी ऑपरेशन के बाद सभी हितग्राहियों को घर पहुंचाने के लिए वाहन सेवा प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर न होने से जिला मुख्यालय पहुंच रहे ग्रामीण क्षेत्र के मरीज

नवभारत न्यूज
पन्ना 22 नवंबर। जिले के ग्रामीण अंचलों में रहे रहे लोगों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिये लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार प्रशासन के निर्देश पर किया जा रहा है। लेकिन सुविधा के अभाव मे स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती नजर आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज न होने एवं कर्मचारी एवं डॉक्टरों के अभाव के कारण कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। यहीं वजह है कि बीमार होने वाले मरीज या तो जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में इलाज

कराने के लिये आने को मजबूर हो रहे हैं या फिर झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। ऐसे में मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ होना तय है। स्वास्थ्य केंद्र तो लगातार खोले जा रहे हैं। लेकिन मरीजों की देखभाल करने के लिये ऐसे केंद्रों में डॉक्टर, नर्स और जांच करने वाले विशेषज्ञों की कमी बनी हुई है। जिससे स्वास्थ्य केंद्रों का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है।

5 हजार आबादी में हैं केंद्र:- उप स्वास्थ्य केंद्रों को चालू करने के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइड लाइन तय की गई थी। जिसके तहत 5 हजार की आबादी



वाले ऐरिया में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं और निर्देश के तहत लगातार स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जा रहे हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। गाइड लाइन के तहत प्राथमिक

स्वास्थ्य केंद्र के लिये 30 हजार की आबादी का होना जरूरी है। जबकि 12 हजार की आबादी वाले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 5 हजार की आबादी मे उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का नियम बनाया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में न तो समुचित भवन है उसमें व्यवस्था दितचस्प

पहलू यह है कि कई उप स्वास्थ्य केंद्र तो महज बोर्ड लगाकर संचालन किए जाने की महज

जानकारी दे रहे हैं। जबकि ऐसे केंद्र में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो रहा है।

जांच के लिये नहीं है लैब

खोले जा रहे उप स्वास्थ्य केंद्रों मे विशेषज्ञ के साथ साथ नर्स और देखभाल करने के लिये कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन स्टॉफ न होने की स्थिति में ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में गांव की एनएनएम व स्वास्थ्य कार्यकता, आशा कार्यकर्ता आदि के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। जबकि नियमानुसार स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स के साथ जांच करने के लिये लैब का होना जरूरी है। केंद्र में 5 तरह की जांच के निर्देश भी दिए हैं। जिसके तहत 5 वर्ष तक के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं की जांच जुड़ी हुई है। इन केंद्रों मे बच्चों और महिलाओं का टीका लगाया जाना तो वही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने का दायित्व सौंपा गया है। लेकिन स्टॉफ की कमी से ऐसी सुविधाएं नहीं हो पा रही है। तो उप स्वास्थ्य केंद्रों में लैब जांच के लिए उपलब्ध नहीं है।

रुक्मणी विवाह की कथा सुन मंत्र मुक्त हुए श्रोता

नवभारत न्यूज

सलेहा/पन्ना 22 नवंबर। सलेहा समीपस्थ मंधा गांव में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक आचार्य गोविन्द नारायण महाराज ने कंश वध, महारासलीला व रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया। कथावाचक ने कहा कि गोपियों ने भगवान श्रीकृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों की इस कामना की पूरा करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महारास के



आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया। सभी गोपियां सज-धजकर नियत समय पर यमुना तट पर पहुंच गईं। कृष्ण की बांसुरी की धुन

सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध-बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गईं। उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नजदीक जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। इसके बाद भगवान ने रास आरंभ किया। माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधिवन ही वह स्थान है, जहां श्रीकृष्ण ने महारास रचाया था। यहां भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई थी, जितनी गोपियां उतने ही श्रीकृष्ण के प्रतिक्रुष प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य व प्रेमानंद शुरू हुआ।

रुक्मिणी विवाह का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने सभी राजाओं को हराकर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी को द्वारका में लाकर उनका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। मौके पर आयोजक मंडली की ओर से आकर्षक वेश-भूषा में श्रीकृष्ण व रुक्मिणी विवाह की झांकी प्रस्तुत कर विवाह संस्कार की रस्मों को पूरा किये। इस सात दिवसीय भगवत कथा का आयोजन दीपा बलभद्र त्रिपाठी एवं उनके परिजन के द्वारा किया जा रहा है, इस कथा में क्षेत्रीय धर्म प्रेमी कथा का श्रवण कर धर्म लाभ ले रहे।

दर्जा पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का, प्रोफेसरों के पद स्वीकृत से मात्र 30 प्रतिशत ही भरे

खोखले विकास एवं वादों की हकीकत, पीएम एक्सीलेंस का ये हाल जहां 72 के विरुद्ध मात्र 17 प्रोफेसर पदस्थ

नवभारत न्यूज
पन्ना 22 नवंबर। मप्र सरकार एवं जिले के जनप्रतिनिधि अपने लच्छेदार भाषणों में फर्जी दंभ भरते रहते हैं लेकिन पन्ना जिले मे तो मूलभूत आवश्यकता शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक की स्थिति दयनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र मे चाहे विद्यालय हो या महाविद्यालय आधा

शैक्षणिक स्टॉफ भी नहीं है यही हाल स्वास्थ्य विभाग का है कि डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल का 50 प्रतिशत स्टॉफ भी पदस्थ नहीं है और दंभ भरते है स्वर्ग बनाने का। उदाहरण के लिए जिला मुख्यालय के छत्रशाल शासकीय महाविद्यालय को पीएम एक्सीलेंस का दर्जा तो दे दिया गया तो क्या दर्जा देने मात्र से छात्रों

तीन हजार से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित

कॉलेज में कुल पांच हजार से अधिक छात्र अध्ययनरत है, जिनमें कला और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी सर्वाधिक है। शिक्षकों की कमी से करीब तीन हजार से ज्यादा विद्यार्थियों की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। प्रतिनियुक्ति पर यहां से थोक में प्राध्यापकों को बाहर तो भेज दिया गया लेकिन उनके बदले में दूसरे प्राध्यापक कॉलेज में नहीं आए। इससे भी बड़ी संख्या में प्राध्यापकों के पद रिक्त हो गए। इससे यहां की पढ़ाई टपप जैसी हो गई है। हजारों बच्चों के भविष्य पर जिम्मेदार खामोश है।

कलेक्टर ने गुनौर विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर कार्य का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज
पन्ना 22 नवंबर। कलेक्टर ऊषा परमार ने शनिवार को गुनौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का भ्रमण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रारकण अधिकारी तथा बीएलओ के साथ एसआईआर कार्य की प्रगति का जानकारी लेकर समस्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। सलेहा में सभीका बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। इसलिए अपने पदीय दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें तथा अधिकारी नियमित रूप से



कार्य में प्रगति की मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित करें। इस संबंध में प्रतिदिवस प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी होगी। कलेक्टर श्रीमती परमार ने देवेन्द्रनगर एवं अमानगंज सहित अन्य स्थानों पर भ्रमण के जरिए आम नागरिकों एवं मतदाताओं से चर्चा कर गणना प्रपत्र वितरण के संबंध में जानकारी ली और बीएलओ को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया।

इस दौरान गणना प्रपत्रों के वितरण के पश्चात किए जा रहे डिजिटাইजेशन कार्य का भी परीक्षण किया। साथ ही तहसील कार्यालयों में स्थापित



का भविष्य संभर जायेगा। जहां प्रोफेसरों के 72 पद स्वीकृत हैं उसमें मात्र 17 पद ही भरे हुए हैं जबकि 55 पद खाली हैं। जब पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का हवा यह है तो जिले के कॉलेजों का क्या हाल होगा स्वमेव अंदाजा लगाया जा सकता है। जब भी मुख्यमंत्री पन्ना आते हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा कॉलेज की मांग की जाती है तो

रेवड़ी की तरह कॉलेज की घोषणा की जाती है लेकिन न तो इसके लिए भवन होता न स्टॉफ तो इन कोरी घोषणाओं से क्या विकास की कल्पनाएं की जाये। कई संकायों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। इससे कॉलेज में पढ़ाई गंभीर रूप से – प्रभावित है। छात्रों का कहना है प्राध्यापकों की कमी से कक्षाएं नहीं लग पा

रही हैं। पढ़ाई पूरी तरह टप है। परीक्षाओं की तैयारी में भी कठिनाई आ रही है। प्रबंधन अपने स्तर पर अतिथि प्राध्यापकों के माध्यम से कोरम पूरा कर रहा है, लेकिन यह व्यवस्था शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रही है। छात्र संगठन और अभिभावक लंबे समय से शिक्षकों के नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे हालात खराब हो रहे हैं।

सात विषयों में अतिथि शिक्षकों पर निर्भरता

महाविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल स्थिति को संभालने के लिए सात विषयों हिंदी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, वाणिज्य, भौतिकी, रसायन और प्राणीशास्त्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की है। छात्र कहते हैं कि अतिथि शिक्षकों के लगातार बदलने से पढ़ाई का सिलसिला टूट जाता है।

निजी माध्यमिक एवं हायर सेकंडरी स्कूलों की मान्यता के लिए कार्यक्रम जारी

नवभारत न्यूज

पन्ना 22 नवंबर। लोक शिक्षण संचालनालय ने माध्यमिक एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिये मान्यता नवीनीकरण एवं नवीन मान्यता के लिये दिशा निर्देश जारी कर दिये है। यह मान्यता वर्ष 2026-27 के लिये होगी। जिसका चरणबद्ध एवं समय सीमा के अनुसार कार्यक्रम जारी कर दिया गया।

इसके साथ ही मान्यता की प्रक्रिया को भी निर्धारित कर दिया गया है। जात हो कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मान्यता देने का अधिकार संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को दिया गया है। इस आदेश के बाद भी संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा में आवेदन करने होंगे।

इस तरह होगी प्रक्रिया:- जारी

दिशा निर्देश के अनुसार संयुक्त संचालक को स्कूलों की संख्या के अनुसार शासकीय स्कूलों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दलों का तत्काल गठन करना होगा। मान्यता के लिये संस्थाओं को आनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन के पश्चात गठित निरीक्षण दलों को सात दिन में प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निरीक्षण दल के द्वारा प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सात दिवस अर्वाधि में अपना स्ट्राट अभिमत देते आवेदन को आनलाईन संयुक्त संचालक को करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी से अभिमत प्राप्त होने के सात दिन के अंदर अपना अधिकतम 15 दिवस के अंदर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण को मान्यता के संबंध में निर्णय लेना होगा। यदि संस्था मापदण्ड पूर्ण नहीं भारती तो संयुक्त संचालक लोक

शिक्षण मापदण्ड को पूर्ति अथवा अनुमोदित अभिलेखों की पूर्ति हेतु संस्था को 15 दिवस का समय दिया जायेगा। इसके बाद प्रायः प्रास प्रतिवेदन के आधार संयुक्त संचालक मान्यता के बाद संस्था द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में नियमानुसार समय सीमा में निर्णय लेना होगा। संयुक्त संचालक के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील आयुक्त लोक शिक्षण एवं द्वितीय अप्रैल मान्यता समिति को करी जा सकेगी। मान्यता हेतु समय सारिणी:- मान्यता के लिये समय सारिणी भी निर्धारण कर दिया गया है। संस्था आनलाईन आवेदन पोर्टल पर 15 दिसम्बर तक अपलोड किये जा सकते हैं। विलम्ब शुल्क सहित 24 दिसम्बर आवेदन अपलोड किये जा सकते हैं। आवेदन अपलोड होने के सात दिवस के अंदर प्रतिवेदन पोर्टल में अपलोड करना होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन उप्रेषित करने के लिये 31 दिसम्बर तक की अवधि निर्धारित की गई है। कहीं संयुक्त संचालक द्वारा मान्यता

स्वीकृत करने अथवा संस्था को नोटिस देने के संबंध में निर्णय लेने को तिथि 15 जनवरी तक नियत की गई है।

मान्यता के नाम पर चलेगा अण्डरटेबल वसूली का खेल

लोकशिक्षण संचालक ने मान्यता के लिये जो भी गाईड लाईन जारी किया उसकी खानापूर्ति करने के बाद भी संस्थाओं को मान्यता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मान्यता के नाम पर अवेध वसूली चलती है। जहां सबसे पहले निरीक्षण करने वाली टीमों को साधने के लिये फिर जिला शिक्षा अधिकारी के यहां और अंत में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के करनी होगी। किन्तु कोई भी स्कूल संचालक इस बात को सार्वजनिक नहीं कर सकता। क्योंकि उसे मान्यता भी लेनी और डीईओ से लेकर कार्यालय तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अच्छे संबंध भी रखना है। इसलिये आवेदन करने के बाद ही संबंधित संस्थाओं के द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिये चापलूसी शुरू हो जायेगी। इसलिये देखना होगा कि इस बार मान्यता को लेकर कितनी संस्थाओं को प्रमाण पत्र जारी होते हैं और कितनी संस्थाओं को अपीत में जाना पड़ता है। हालांकि अप में जाने की आवश्यकता कमी होती है। क्योंकि अशासकीय संस्थाओं को सब कुछ पता होता है कि कहां कैसी सेवा की आवश्यकता पड़ती है। इससे भी पहले से ही तैयार बैठे रहते हैं। उन्हें भी संस्था के बच्चों से भी वसूली करके करनी होती है।